


कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,  
उत्तर प्रदेश

संख्या: सीजी-20/ई-1,

लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2020

शासनादेश संख्या: 2358/सत्ताईस-1-2020-7(1)/2020, दिनांक-10.07.2020 की प्रतिलिपि  
निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0)/परियोजना, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-2), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित अधिकारी।
7. अधीक्षण अभियन्ता, (कम्प्यूटर केन्द्र), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (जॉच), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. वैयक्तिक सहायक (का0प्र0अनु0-1), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. वैयक्तिक सहायक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11. प्रशासनिक अधिकारी (ई-1)/प्रशासनिक अधिकारी (ई-3), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ।
12. महासचिव, उ0प्र0 अभियन्ता संघ, 96-महात्मा गांधी मार्ग, (कार्यालय लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0), लखनऊ।

  
10/07/2020  
(डी0 के0 मिश्रा)  
मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3)

उत्तर प्रदेश शासन  
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1  
संख्या-2352/सत्ताईस-1-2020-7(1)/2020 टी0सी0  
लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2020

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के निम्नलिखित नवप्रोन्नत मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित पद/स्थान पर स्थानान्तरित/पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0 सं0	अभियन्ता का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	आलोक जैन	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (गण्डक), गोरखपुर।
2	राकेश कुमार (बागपत)	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (सरयू-द्वितीय), गण्डा
3	अखिलेश कुमार	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (सरयू-प्रथम), अयोध्या।
4	अवधेश कुमार	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (मध्यगंगा), अलीगढ़
5	महेश्वरी प्रसाद	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (बेतवा), झाँसी
6	श्याम सुन्दर	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (सोन), वाराणसी
7	सूरज पाल सिंह	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (शारदा), बरेली।
8	रमेश चन्द्र	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (यमुना), ओखला
9	महेश चन्द्र	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता ( गंगा), मेरठ
10	राजपाल सिंह	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (बेतवा परियोजना), झाँसी
11	बाल किशुन राम	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (बाणसागर), प्रयागराज
12	प्रवीन कुमार	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता ( अग्रिम-नियोजन), लखनऊ
13	सेवा राम	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन), लखनऊ।
14	देवकी नन्दन	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता ( अनुसंधान एवं नियोजन), अयोध्या।
15	मुरली प्रसाद	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता ( अनुसंधान एवं नियोजन), अलीगढ़।
16	राधे कृष्ण	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता, परसम्पत्तियाँ एवं सज्जा (सिविल), लखनऊ।
17	सोरण सिंह	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (प्रशिक्षण अकादमी), ओखला।
18	सतीश चन्द्र	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-7/8), लखनऊ।

19	कृष्ण कुमार	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, वाल्मी, लखनऊ।
20	दिनेश कुमार पाण्डुवाल	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3), लखनऊ।
21	राकेश कुमार (अलीगढ़)	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (बजट), लखनऊ।
22	तारा चन्द्र	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-4/6), लखनऊ।
23	कुँज बिहारी लाल	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन (बाढ़), लखनऊ।
24	संजय खण्डूजा	नवप्रोन्नत	मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण एवं समन्वय बाह्य सहायतित परियोजनायें) लखनऊ। (दिनांक 31.07.2020 को सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पद पर)

2- उक्त अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायें।

अनीता वर्मा सिंह,  
विशेष सचिव।

संख्या- 2358 (1)/सत्ताईस-1-2020 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  2. प्रमुख अभियन्ता, (परिकल्प एवं नियोजन)/प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  3. मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  4. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  5. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  6. सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  7. समस्त अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।
  8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओपीओ सिंह)  
उप सचिव।  
SS

CK

10/07/2020